नकल

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोरांव इलाहाबाद।

वाद संख्या–T 201602030318 धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा–सर्वा गौहान उर्फ सिंहगढ़ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद।

उपकार फाउण्डेशन सोसाइटी बनाम सरकार

नकल - आदेश दि० -10-2-16

प्रस्तुत वाद उपकार फाउण्डेशन सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक रामानुज शुक्ल पुत्र राम कुमार शुक्ल निवासी ई–36 शांतीपुरम् फाफामऊ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र पर धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस आशय का संस्थित किया गया है कि वह मौजा सर्वा गौहान उर्फ सिंहगढ़ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के आराजी संख्या 805क रकबा 2.0550 हे0 में से रकबा 1.0028 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर मौके पर काबिज व दखील है। उपरोक्त पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त पर आवास का निर्माण कर लिया गया है। अन्त में अनुरोध किया गया है उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाय।

तहसीलदार सोरांव से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सोरांव द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 10.02.2016 प्रेषित की गयी है। तहसीलदार सोरांव ने अपनी आख्या दिनांक 13.06.2014 में कहा है कि मौजा सर्वा गौहान उर्फ सिंहगढ़ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के आराजी संख्या 805क रकबा 2.0550 हे0 में से रकबा 1.0028 हे0 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार सोरांव द्वारा मौजा सर्वा गौहान उर्फ सिंहगढ़ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के आराजी संख्या 805क रकबा 1.0028 हे0 को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु अग्रसारित किया गया है।

अतः तहसीलदार सोरांव की आख्या दिनांक 15.05.2015 से सहमत होते हुए आदेश हुआ कि मौजा सर्वा गौहान उर्फ सिंहगढ़ परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद के आराजी संख्या 805क रकबा 1.0028 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) एवं एक प्रति उपनिबन्धक सोरांव को भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

ह० 2-16

(दुर्गा शंकर गुप्ता)
उप जिलाधिकारी–सोरांव
इलाहाबाद

प्रबन्धक
पं० राम कुमार शुक्ल महाविद्यालय
सर्वागौहान सिंहगढ़ होलागढ़, इला०

165

12/2/16
12/2/16
12/2/16